भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय कोषागार, हरदोई 047 8 SEP 2023

GA 823057

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारुप–अ)

हम **देवेन्द्र कुमार एवं बलराम** क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव विश्राम शिक्षण एवं सामाजिक सेवा समिति ग्राम ककरहिया पो0 सुंगवॉ तह0 व जिला हरदोई (उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करता हूँ कि:–

1. यह कि हमारी सोसायिटी द्वारा **यू0 पी0 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस** , ग्राम व पो0 दुर्गागंज बिलग्राम हरदोई ,नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायिटी द्वारा **यू0 पी0 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस** में गाटा सं0 520 मि0/0.3670 , 530 मि0 /0.4170 , व 531/0.3160 कुल रकबा 10117 वर्ग मीटर (कुल रकवा 2.5 एकड़) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 520 मि0/0.3670, 530मि0/0.4170 ,व 531/0.3160 कुल रकबा 10117 वर्ग मीटर (कुल रकवा 2.5 एकड़) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायिटी की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के सचांलन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

NOTARY Lala Ram Shukla Advocate Tehsil Bilgram Hardoi Reg. No.-2443/03 GOVT. OF INDIA

18/9/23

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायिटी के नाम भूमि एंव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही सचांलन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रषिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्व संस्था एवं पाठयक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सम्बद्व कोई अन्य संस्थान/विद्यालय महाविद्यालय / आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा ।
10. यह कि संस्थान के सचांलन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के सचांलन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायिटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भलीभातिं पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊंगी।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

NOTARY
Advocate
GOVT. OF INDIA
18/9/23